



पत्रांक: 931/10अभियन्ता/2015

दिनांक: 20/11/2015

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त तकनीकी विभागों हेतु भवन निर्माण से संबंधित कार्यों के आगणन गठित किए जाने के लिए CPWD द्वारा जारी DSR का प्रयोग किए जाने के आदेश लागू हैं। इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भवनों के Plinth Area Rates भी CPWD द्वारा जारी DPAR के आधार पर लिए जाएँ जो कि उनकी website "cpwd.gov.in" पर उपलब्ध हैं।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता / विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता / विभागाध्यक्ष लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
7. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
8. प्रबंध निदेशक, यू०एस०आई०डी०सी०, देहरादून।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. अधिशासी अभियन्ता टी०ए०सी० वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II / समस्त अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० देहरादून।
12. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग देहरादून

IV